समाचार

राताखार बायपास मार्ग पर भारी वाहन के आवागमन पर रोक लगाए –महापौर

(महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल ने लिखा जिला, पुलिस व निगम प्रशासन को पत्र)

कोरबा 25 जुलाई 2015 –महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि आमनागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर निगम क्षेत्र में स्थित राताखार बाईपास मार्ग पर भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने हेतु जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से आवश्यक पहल कर त्वरित कदम उठाए। उन्होने पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर कोरबा एवं पुलिस अधीक्षक कोरबा को भी प्रेषित की है।

महापौर श्रीमती अग्रवाल ने अपने पत्र में कहा है कि नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र के आने वाले राताखार बायपास मार्ग अत्यंत जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। इस मार्ग पर भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन होने एवं सड़क की हालत अत्यंत खराब होने के परिणाम स्वरूप आमनागरिकों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना के साथ ही नागरिकों के जान–माल का खतरा बना रहता है। उक्त मार्ग पर बालको, लैंको, प्रकाश स्पंज आयरन सहित अनेकों औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कोयला परिवहन किया जाता है। पूर्व में इस मार्ग का निर्माण कोयला परिवहन के लिए एस.ई.सी.एल. द्वारा कराया गया था। उन्होने कहा है कि उक्त राताखार बायपास मार्ग पर भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर रोक लगाए जाने एवं मार्ग का जीर्णोद्धार किये जाने के संबंध में विगत 17 अप्रैल 2015 को मान. नगरीय प्रशासन मंत्री छ.ग. शासन द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में भी चर्चा की गई थी। इसी प्रकार 21 अप्रैल 2015 को सम्पन्न मान. मुख्यमंत्री जी की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था, साथ ही प्रदेश के परिवहन मंत्री जो द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये थे, जिस पर कोई पहल नहीं हुई। महापौर श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि उक्त मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर नगर विधायक एवं संबंधित वार्ड पार्षदों द्वारा भी आपत्ति की गई है तथा टी.पी.नगर क्षेत्र के नागरिकों द्वारा इस मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर गहरी नाराजगी एवं आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इस मार्ग पर भारी वाहनों के चलने के परिणाम स्वरूप उक्त क्षेत्र में स्थित आवासीय कालोनियों की आंतरिक सड़कें भी खराब हो रही है तथा नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होने कहा कि नगर पालिक निगम की जिम्मेदारी आमनागरिकों को पानी, बिजली, साफ–सफाई, सड़क रोशनी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कोयला परिवहन कराने की जवाबदारी नगर पालिक निगम की नही है। अतः जिला प्रशासन से आवश्यक पहल कर नागरिकों के जान–माल की सुरक्षा के लिए तत्काल त्वरित कदम उठाएं।